लोक शिक्षण संचालनालय

मध्यप्रदेश

क्रमांक/ स्था–4/एच/27/08/1153 भोपाल, दिनांक 19.8.8

प्रति,

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी

मध्यप्रदेश

विषयः– आकस्मिक निधि भृत्यों को नियमितीकरण बावत्।

संदर्भः– म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 5–3/2006/1–3 दिनांक 16 मई 2007 एवं परिपत्र क्रमांक एफ 5–3/06/1–3 दिनांक 08.02.2008

———0———

म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दैनिक वेतन भोगी एवं अस्थाई कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में दिनांक 16 मई 2007 को जारी परिपत्र क्रमांक एफ 5–3/2006/1–3 की कंडिका क्रमांक 5.1 में दिए गए बिंदुवार निर्देश तथा सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 5–3/06/1–3 दिनांक 08.02.2008 में दी गई सारणी में चाहे गये परामर्श के समक्ष दिये गये स्पष्टीकरण के बिंदु 4 में उल्लेख है कि आकस्मिकता निधि सेवा के स्वीकृत पद उपलब्ध होने पर इसी काडर में 10 साल से मौजूद अनियमित कर्मचारियों को नियमित किया जा सकता है। अन्य काडर से इस काडर में लेना नियमितीकरण में नहीं आता हैं एवं इसी प्रकार बिंदु क्र. 6 में उल्लेख है कि जिस काडर में कर्मचारी सेवा में मौजूद है उसी काडर में उनकी सेवाएं 10 साल निरंतर होने पर नियमितीकरण किया जाएगा ।

अतः निर्देशित किया जाता है कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिनांक 16 मई 2007 को जारी परिपत्र क्रमांक एफ 5–3/2006/1–3 की कंडिका क्र. 5.1 एवं दिनांक 08.02.08 को जारी परिपत्र क्रमांक एफ 5–3/06/1–3 में दिए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार जिले में शिक्षा विभाग अंतर्गत 10 साल से निरंतर सेवा में कार्यरत आकस्मिक निधि भृत्यों को आकस्मिकता निधि सेवा के स्वीकृत पदों पर रोस्टर का पालन करते हुए तथा आकस्मिक निधि सेवा का सदस्य घोषित करते हुए वेतनमान 2550–55–2660–60–3200 में नियमितीकरण की कार्यवाही करें एवं कृत कार्यवाही से शीघ्र संचालनालय को अवगत कराएं ।

आयुक्त 19/8/08

लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/ स्था–4/एच/27/08/1160 भोपाल, दिनांक 19.8.8

प्रतिलिपीः–

1. महालेखाकार,मध्यप्रदेश ग्वालियर।
2. प्रमुख सचिव,म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, बल्लभ भवन,भोपाल।

3. प्रमुख सचिव,म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, बल्लभ भवन,भोपाल।
4. निज सचिव, मान. मुख्यमंत्री, म.प्र. शासन, भोपाल ।
5. निज सचिव, माननीय मंत्री, स्कूल शिक्षा,मध्यप्रदेश शासन।
6. निज सचिव, माननीय राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा मध्यप्रदेश शासन।
7. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल ।
8. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।
9. समस्त मुख्यकार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, म.प्र. ।
10. समस्त प्राचार्य, शिक्षा महाविद्यालय, म.प्र. ।
11. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
12. संभागीय संयुक्त संचालक, विधि प्रकोष्ठ, मध्यप्रदेश ।
13. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, भोपाल।
14. समस्त प्राचार्य जिला एवं शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान, मध्यप्रदेश ।
15. योग विभागाध्यक्ष, शिवाजी नगर, भोपाल।
16. प्राचार्य, शास. तात्याटोपे शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय, शिवपुरी
17. समस्त प्राचार्य, शा.उ.मा.वि. मध्यप्रदेश ।

की ओर सूचनार्थ ।

आयुक्त 19/8/08

लोक शिक्षण मध्यप्रदेश